

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

संकल्प

विषय:— राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत “ममता” कार्यकर्ता के प्रोत्साहन राशि रु0 300/— में अतिरिक्त रुपये 300/— की वृद्धि करते हुए प्रति प्रसव रु0 600/— की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सरथागत प्रसव के बाद माता एवं नवजात शिशु की देख-भाल के लिए मानदेय के आधार पर “ममता” की सेवा ली जाती है। ममता कार्यकर्ता प्रसव हेतु आयी महिलाओं को उपरोक्त संस्थानों में आने से लेकर उनके प्रसव के बाद वापस जाने तक एक सहयोगी के रूप में उनके साथ रहती है। “ममता” का मुख्य कार्य नवजात शिशु का वजन, एक घंटे के अन्दर स्तनपान, प्रसूति की साफ-सफाई, नवजात शिशु के रोगों के लक्षण की पहचान एवं संबधित चिकित्सक/नर्स को बताना, टीकाकरण, हाइपरथर्मिया, कम वजन के शिशुओं की देख भाल, कगारू केयर एवं परिवार नियोजन के बारे में समुचित सलाह आदि प्रदान करना है।

2. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक 497(12) दिनांक 20.08.09 के आलोक में “ममता” कार्यकर्ता जो एक स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता है जिन्हे वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 100/—रुपये प्रति प्रसव की दर से राज्य सरकार द्वारा से वहन किये जाने के उपरान्त विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक 457(12) दिनांक 26.05.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 100/—रुपये के स्थान पर प्रति प्रसव 300/— रुपये भुगतान की जा रही है। विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या 382(12), दिनांक-16.04.2018 द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में भी ममता की सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई एवं “ममता” कार्यकर्ता की कार्य अवधि जो लगभग एक पूर्ण दिन होती है एवं कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत “ममता” कार्यकर्ता के प्रोत्साहन राशि रु0 300/— में अतिरिक्त रुपये 300/— की वृद्धि करते हुए प्रति प्रसव रु0 600/— की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में नये निर्धारित दर को देखते हुए राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रसवों की कुल अनुमानित संख्या के आधार पर लगभग कुल रुपये 1,04,52,00,000/— (रुपये एक अरब चार करोड़ बावन लाख) मात्र के व्यय की संभावना का आकलन किया गया है।



5 उक्त राशि के व्यय का वहन वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में माग सख्या-20 मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-110 अस्पताल तथा औषधालय-0127 ममता कार्यकर्ता विपत्र कोड-20-2210011100127 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-28 02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत किया जायेगा।

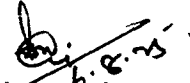
6. इस प्रस्ताव को मन्त्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक-05 08 2025 के मद सख्या-34 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

7 संकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-07/विविध-08-27/2021 के पृ0-106/टि0 में प्राप्त है।

8 यह सकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।
Husaid

ज्ञापांक-07/विविध-08-27/2021-178(7)/स्वा0, पटना, दिनांक- 06/08/2025

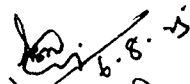
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य मंत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमडतीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना /सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/संबधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Husaid